RB/Estt. No.08/2010

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2008/PM1/15 **dt.11.01.2010**

The General Managers(P)
All Indian Railways &
Production Units
(As per standard list)

Sub:- Implementation of recommendations of 6th CPC – Merger of grades – Promotion within the same grade pay – Classification and mode of filling up of non-gazetted posts – Status of panels finalized/selections initiated earlier etc.

Reference this Ministry's letter of even number dt.03.09.2009 on the above subject wherein revised mode for filling up of vacancies as existed on 31.08.2009, in merged grades, have been issued. In the above connection a number of references are being received from the Railways for clarification regarding status of panels/suitability lists etc. in cases where promotion procedure had been initiated/completed and panels/suitability lists were prepared/partly operated, for promotion to the posts which have been merged into one grade pay as a result of implementation of recommendations of 6th CPC. It was also indicated in the instructions contained in this Ministry's letter of even number dt.23.09.2008 that merger of grades has affected the existing AVCs, therefore, no promotion shall be made in case of merged grades, except the categories of Loco Pilots and Guards. The matter has been considered by the Board and it has been decided that:-

(i) in cases where even after merger, mode of filling up in merged grades, as indicated in the statement enclosed with letter dt.03.09.2009, has not been changed, all such panels, suitability lists (if any) as finalized/partly operated before restriction was imposed on making promotion to such merged grades, which was effective from 04.09.2008, may be further operated. All other panels/suitability lists cease to exist i.e. the cases where a 'Non-Selection' post has been changed to 'Selection' or 'Suitability with Prescribed Benchmark' AND where a 'Selection' post has been changed to 'Non-Selection' or 'Suitability with Prescribed Benchmark'. In the above cases of change of classification/mode of filling up in merged grades, any promotion/filling up of vacancies on or after 04.09.2008, made through a mode other than prescribed in letter dated 03.09.2009 will be treated as adhoc and will not confer any right on the incumbents promoted/posted as such to hold or continue to hold the said post. In such cases of posts where mode of filling up has been changed vide letter dt.03.09.2009, w.e.f. 04.09.2008 all posts should be filled up as per revised procedure.

....2/-

In case of Running Staff, where existing AVCs were continued any panel/suitability list finalized before 03.09.2009 may first be operated, to fill up the vacancies as existed on 31.08.2009 and then further action for making promotions, as indicated in letter dt.03.09.2009, should be taken, in case panels/suitability lists finalized earlier have fallen short, in fulfilling the requirements upto 31.08.2009. All vacancies as have arisen on or after 01.09.2009 will be filled up after laying down regular scheme for the same, as indicated in this Ministry's letter of even number dt.03.09.2009.

(ii) Similarly, selections/suitability tests etc. in above cases of merged grades, where mode of filling up has not changed, same may now be finalized. All other selections/suitability tests shall cease to exist.

(iii) It has also been decided that in case as a result of dispensation given at (ii) above, if a panel/suitability list is finalized by the Railways say on 31.12.2009, in such a case, as a one time measure, mandatory time gap between two selections etc., is not required to be observed and next selection etc. for filling up of vacancies as existed on 31.08.2009, may be conducted before such mandatory time gap. However, for further selection normal provision in this regard will apply.

Please acknowledge receipt.

(D. V. Rao)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

No. E(NG)I-2008/PM1/15 **New Delhi. Dated 11.01.2010**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.
11. The Secretary Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.

...3/-

आरबीई सं.08/2010

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I-2008/पीएम1/15 **नई दिल्ली, दिनांक:11.01.2010**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन- ग्रेडों का विलयन - उसी ग्रेड पे में पदोन्नति - अराजपत्रित पदों का वर्गीकरण तथा भरने का तरीका - अंतिम रूप दिए गए पैनलों/पहले शुरू किए गए चयनों आदि की स्थिति।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 03.09.2009 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें विलय किए गए ग्रेडों में 31.08.2009 को मौजूदा रिक्तियों को भरने का संशोधित तरीका जारी किया गया है। उपर्युक्त संबंध में, उन पदों पर पदोन्नति के लिए जिन्हें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप एक ग्रेड पे में विलय कर दिया गया है, उन मामलों में जिनमें पदोन्नति प्रक्रिया शुरू/पूरी कर दी गई थी तथा पैनल/उपयुक्तता सूची तैयार/आंशिक रूप से परिचालित कर दी गई थी, पैनल/उपयुक्तता सूची की स्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए रेलों से काफी संख्या में संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं। इस मंत्रालय के दिनांक 23.09.2008 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों में यह भी दर्शाया गया था कि ग्रेडों के विलयन का मौजूदा एवीसी पर प्रभाव पड़ा है, अतः लोको पायलटों तथा गार्डों की कोटियों को छोड़कर विलय किए गए ग्रेडों के मामले में कोई पदोन्नति नहीं की जाए। बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) उन मामलों में, जिनमें विलय के बाद भी, दिनांक 03.09.2009 के पत्र के साथ संलग्न विवरण में यथा उल्लिखित विलय किए गए ग्रेडों में रिक्तियां भरने के तरीके में परिवर्तन नहीं गया है, विलय किए गए ऐसे ग्रेडों में पदोन्नति पर प्रतिबंध, जो 04.09.2008 से प्रभावी था, लगाने से पहले के ऐसे सभी पैनलों, उपयुक्तता सूची (यदि कोई हो) जिन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है/आंशिक रूप से परिचालित कर दिया गया को आगे परिचालित किया जाए। अन्य सभी मौजूदा पैनलों/उपयुक्तता सूचियों को समाप्त माना जाए अर्थात् उन मामलों, जिनमें ग़ैर-चयन पद को 'चयन' अथवा 'निर्धारित बैंचमार्क के साथ उपयुक्तता' में बदल दिया गया है तथा जिनमें 'चयन' पद को 'ग़ैर-चयन' अथवा 'निर्धारित बैंचमार्क के साथ उपयुक्तता' में बदल दिया गया है। विलय किए गए ग्रेडों में वर्गीकरण में परिवर्तन/रिक्तियां भरने के तरीके के उपर्युक्त मामलों में, 04.09.2008 और उसके बाद की गई कोई भी पदोन्नति/भरी गई रिक्तियां जो दिनांक 03.09.2009 के पत्र में निर्धारित तरीके के बजाय किसी अन्य तरीके से की गई हैं, को तदर्थ माना जाएगा तथा पदोन्नत/तैनात किए गए पदधारी को उक्त पद पर रहने अथवा बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। उन पदों के मामले में जिनमें दिनांक 03.09.2009 के पत्र द्वारा रिक्तियां भरने का तरीका बदल दिया गया है, 04.09.2008 और उसके बाद सभी पद संशोधित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाएंगे। रनिंग कर्मचारियों के मामले में, जिनमें मौजूदा एवीसी जारी रखी गई थी, 31.08.2009 को मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए 03.09.2009 से पहले अंतिम रूप दिए गए किसी भी पैनल/उपयुक्तता सूची को पहले परिचालित किया जाए तथा उसके बाद 31.08.2009 तक की आवश्यकताओं को पूरा करने में पहले अंतिम रूप दिए गए पैनल/उपयुक्तता सूचियों के कम पड़ने के मामले में पदोन्नति करने के लिए दिनांक 03.09.2009 के पत्र में

..2/-

दर्शाए गए अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। 01.09.2009 को अथवा इसके बाद होने वाली सभी रिक्तियां इनके लिए नियमित योजना निर्धारित करने के बाद भरी जाएंगी जैसा कि इस मंत्रालय के दिनांक 03.09.2009 के समसंख्यक पत्र में दर्शाया गया है।

(ii) इसी प्रकार, विलय किए गए ग्रेडों जिनमें रिक्तियां भरने का तरीका नहीं बदला गया है, के उपर्युक्त मामलों में चयनों/उपयुक्तता परीक्षाओं आदि को अब अंतिम रूप दिया जाए। अन्य सभी चयन/उपयुक्तता परीक्षाओं को समाप्त किया जाए।

(iii) यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि उपर्युक्त (ii) में दिए गए प्रबंध के परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा उदाहरणार्थ यदि 31.12.2009 को किसी पैनल/उपयुक्तता सूची को अंतिम रूप दिया जाता है, ऐसे मामले में एकबारगी उपाय के रूप में दो चयनों आदि के बीच अनिवार्य समय अंतराल का अनुपालन अपेक्षित नहीं है तथा 31.08.2009 को मौजूदा रिक्तियां भरने के लिए अगला चयन ऐसे अनिवार्य समय अंतराल से पहले आयोजित किया जा सकता है। बहरहाल, आगे आयोजित किए जाने वाले चयन के लिए इस संबंध में सामान्य प्रावधान लागू होगा।

कृपया पावती दें।

(डी.वी. राव)
संयुक्त निदेशक, स्था.(अराज.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एन.जी)I-2008/पी.एम.1/15 **नई दिल्ली, दिनांक //.01.2010**

1.महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
2.महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256- ई, रेल भवन (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् , 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया आर.पी.एफ. एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन नई दिल्ली ।
7. सचिव, आर.बी.एस.एस. ग्रुप 'ए' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली।
8. सचिव, आर.बी.एस.एस. ग्रुप 'बी ' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली ।
9. सचिव, आर.बी.एम.एस.ए., रेल भवन नई दिल्ली ।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी ' कर्मचारी संघ रेल भवन नई दिल्ली ।
11. सलाहकार, संरक्षा, रेलवे बोर्ड ।
12. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ ।
13. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक, आर.डी.एस.ओ., लखनऊ ।
14. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन नई दिल्ली ।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड